

[*Authorised English Translation*]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
(COMMITTEES)

Notification

The 21st June, 2012

No. S.O. 48/H.A. 12/2009/S. 35/2012.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 35 of Haryana Fire Service Act, 2009 (12 of 2009), the Governor of Haryana hereby imposes a fire tax at the rate of ten per cent of the property tax on non-residential buildings. The fire tax shall be collected alongwith the property tax by the concerned Municipality.

RAM NIWAS,

Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग
(समितियां)

अधिसूचना

दिनांक 21 जून, 2012

संख्या का० आ० 48/ह० अ० 12/2009/धा० 35/2012.— हरियाणा अग्नि सेवा अधिनियम, 2009 (2009 का 12) की धारा 35 की उप धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, गैर-रिहायशी भवनों पर सम्पत्ति कर का दस प्रतिशत की दर से अग्नि कर अधिरोपित करते हैं। अग्नि कर सम्बन्धित नगर पालिका द्वारा सम्पत्ति कर के साथ संगृहित किया जाएगा।

राम निवास,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।